eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

ग्रामीण महिलाओ के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह एंव मंच

श्रीमती विनोद[1]
[1]शोधार्थी– समाजशास्त्र, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा, राजस्थान

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Nov 2024, Published : 30 November 2024

Abstract

महिलाओ को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह कि शुरूआत 1972 में इला भहट द्वारा "SEWA" कि शुरूआत से मानी जाती है लेकिन औपचारिक रूप से इसकी शुरूआत 1992 मे मानी जाती है क्योकि नाबार्ड ने SHG को बैंक लिनेज कार्यक्रम से जोडकर इसे विश्व का सबसे बडा सुक्ष्य वित्तिय कार्यक्रम बना दिया इस संगठन का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्रो में महिलाओ सशक्त बनाना है महिला सशक्तिकरण एंव स्वयं सहायता समूह एक दुसरे पर अर्न्तनिर्भर विषय है क्योकि SHG एंव समाज समाजिक, आर्थिक पृष्ठ भूमि वाी महिलाओ के द्वारा अपनी स्थिति मे सुधार के लिये बनाये जाते है।

बीज शब्द– SHG, विकासशील महिलाएँ, ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण।

Introduction

1. **(स्वयं सहायता समूह):–** SHG कुछ ऐसी 10–12 महिलाओ का अनौपचारिक समूह होता है जो समान पृष्ठभूमि से संबंध रखती है वे अपनी समाजिक स्थिति मे सुधार हेतु इस समुह का निर्माण करती है जिससे वे सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बन सके जिसके माध्यम से महिलाएँ अपनी कार्यात्मक क्षमताओ का निर्माण कर सके एंव आवश्यकता पडने पर उन्हे कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके क्योकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। तो भूमि और आर्थिक संसाधनो पर पुरूषो ने अपना आधिपत्य एंव स्वामित्व बना कर रखा। जिससे महिलाएँ पुरूषो पर ही निर्भर रहे और उनका शोषण होता रहे SHG महिलाओ को सशक्त करने का कार्य करता है।

2. **ग्रामीण महिलाएँ:–** समाजशास्त्रीय बीना अग्रवाल ने अनी पुस्तक "A Field of One's own में लिंग और सम्पत्ति पर पहला बडा अध्ययन किया जिसमें उन्होने ग्रामीण महिलाओ की स्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे बडा महत्वपूर्ण आर्थिक कारण संपत्ति को नियंत्रित करने में लिंग अंतर को बताया। इसके अतिरिक्त उन्होने ग्रामीण कृषि के संकट का अध्ययन करके गरीब किसानो को प्रभावित करने वाली दो प्रक्रियाए बताई (1) असंतोषण/संकट (2) विस्थापन। वे कहती है कि ग्रामीण महिलाएँ इस प्रक्रिया म दोहरी मार झेलती है। पहला तो महिला पहले ही हाशिये पर थी दुसरा वह पुरूष प्रधान समाज की वजह से संसाधनो से वंचित है। वे कृषि में 75 प्रतिशत तक काम करती है फिर भी उनको कभी भी कृषक का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। यहा तक कि कृषि क्रांति के समय कृषि उपकरणो का आविष्कार भी पुरूषो को ध्यान में रखकर ही किया गया। वहा पर भी महिलाओ को नजर अंदाज कर दिया गया लेकिन SHG ग्रामीण महिलाओ सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. **आर्थिक विकास में महिलाओ कि भूमिका :–** समाज शास्त्रीय ''एस्टर बोसेरूप'' ने अपनी पुस्तक "Woman role in economic devlopment" में बताया कि महिलाओ के आर्थिक कार्यो कि गणना आर्थिक गतिविधियो के विश्लेषण में कभी भी नहीं की गई है, इसलिए औद्योगिक क्रांति हो या हरित क्रांति किसी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

में भी प्रोद्योगिकी और उपकरणो का निर्माण पुरूषो को ध्यान में रखकर ही किया गया है, कृषि क्षैत्रो में महिलाओ के योगदान को भूला दिया गया बल्कि तीसरी दुनिया की महिलाओ का तो दो गुना शोषण किया जाता है। महिलाओ के शोषण में मुद्दे केवल घरेलु हिंसा और यौन शोषण को लेकर नहीं थे, बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार समानता से भी संबंधित थे। यदि महिलाओ को स्वतंत्र करना है तो इसकी शुरूआत गरीब महिलाओ से करनी चाहिऐ। जिन्हे तीसरी दुनिया की महिला भी कहते है जिसमें SHG अपना योगदान दे रहा है।

योगेन्द्र सिंह :– समाजशास्त्रीय योगेन्द्र सिंह ने हरित क्रांति का अध्ययन कर बताया कि हरित क्रांति ने नई प्रौद्योगिकी और नये संबंधो को जन्म दिया है नई शक्ति संरचनाओ का उदय किया साथ ही वंचित वर्गो के शोषण के नये तरीके भी उत्पन्न किये है।

4. विकासशील देशो में महिलाओ का योगदान :– विकासशील देशो में महिलाएँ ग्रामीण आर्थ व्यवस्था में किसान मजदूर और उद्यमी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाए निभाती है, क्योकि दुनिया भर के ग्रामीण समुदायो मे देखभाल करने और आर्थिक गतिविधियो जैसे खेती, छोटे मोटे व्यापार और खेत के बाहर के कामो के शामिल होने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिर भी महिलाओ को अकसर भेदभाव का सामना करना पडता है क्योकि पुरूषो ने उन्हे भूमि और अन्य आर्थिक संसाधनो पर स्वामित्व ही नहीं दिया इसलिये असमान लैगिंग भूमिकाओ या भेदभाव के कारण वे जो भी कमाती है उसका ज्यादातर हिस्सा सीधे उनके नियंत्रण मे नहीं होता। ग्रामीण महिलाओ को सशक्त बनने से न केवल एक व्यक्तिगत महिलाओ और परिवारो की गरीबी को कम करने में मदद मिल सकती है, बल्कि सम्पूर्ण समुदायो को सशक्त बनाने मे मदद मिल सकती है इसलिये ग्रामीण महिलाएँ विभिन्न SHG कि सदस्य बनती ही इससे न केवल वे आर्थिक रूप से सशक्त होती है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार व अन्य ग्रामीण विकास तक भी पहुच में भी लाभ मिलता है।

5. चुनौतियां:– समाज की पहली ईकाई परिवार है और महिलाएँ परिवार से लेकर उचे स्तरो पर भी उपेक्षा व शिकार होती रही है, क्योकि परिवार के विकास से लेकर समाज के विकास में उनकी भूमिका को महत्वहिन समझा जाता है ऐसी परिस्थितियां महिलाओ की चुनौतियो को बढा देती है दुसरी चुनौती उनकी अशिक्षा है जिसके कारण न तो उन्हे अच्छी रोजगार प्राप्त हो पाते है बल्कि उनका दृष्टिकोण भी व्यापक नहीं हो पाता है। 2011 की जनगणना में महिला एंव पुरूषो की जनसंख्या में 27 प्रतिशत का अन्तर पाया गया है जो उनके पिछडेपन को दर्शाता है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000/943 जिससे सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण का पता चलता है यदि हमे जेंडर संवेदनशीलता (जिसका अर्थ है प्रत्येक स्तर पर महिलाओ को पुरूषो के समान स्थिति) लानी है तो हमे महिलाओ को शिक्षित बनाना होगा। क्योकि महिलाएँ दुनिया की आधी आबादी है और समाज मे उनकी भूमिका अपरिहार्य है लेकिन उन्हे इससे वंचित रखा जाता है अपने मूल अधिकार से अनभिज्ञता घरेलु हिसां, आर्थिक एंव शैक्षणिक भेदभाव स्वास्थ्य असमानताए तथा हानिकारक पारम्परिक रूठिवादी सोच के कारण उन्हे अनेको दुसरे दर्जे की नागरिक समझा जाता रहा है पितृस्तात्मक संरचना एंव पुरूषो के आधिपत्य के कारण उन्हे अपने कार्यो में चुनौतियो का सामना करना पडता है।

6. चुनोतियो से निपटने के प्रमुख आधार :–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

1. संवैधानिक उपायः— अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता
अनुच्छेद 14(2) महिला एंव बालको को संरक्षण
अनुच्छेद 15महिला एंव बालको को सार्वजनिन
स्थल पर संरक्षण
अनुच्छेद 16(3) नौकरियो में आरक्षण
अनुच्छेद 39(1) कार्य के समान अवसर एंव समान
कार्य का समान वेतन
अनुच्छेद 42(2) प्रसुती सहायता

2. वैधानिक उपाय— हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (जिसमें एक विवाह एंव पिता व पति की पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार)

दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधन 1984, 1986
सती प्रभा उन्मूलन 1987
भ्रूण परीक्षण निषेध (PNDT)Act 1994
घरेलु हिसां निषेध—2005
विशाखा कानून—2013
तीन तलाक कानून—2017
आनर किलिंग निषेधन—2020

3. आर्थिक संरक्षण हेतुः—बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना 2015

राज श्री योजना 2016

प्रिय दर्शिनी इंन्दिरा गांधी महिला शक्ति निधि 2020 (IM Sakti)के तहत महिला के बहुआयामी विकास एंव सशंक्तिकरण हेतु 1000 करोड का कोष का प्रावधान

4. पोषण हेतु — आगबाडी (1975) पोषण, स्वास्थ्य एंव शिक्षा की पुर्ति करनी है।

आगबाडी (A-3 APP)

आशा, आंगबाडी कार्यकर्ता, नर्स
नंदघर योजना (2015) आंगन बाडियो को उद्योग पतियो के द्वारा गोद लेकर चलाना।
इंदिरा गांधी मातृत्व पौषण योजना (2021) (द्वितीय संतान के समय गर्भवति को 6 हजार रूपये)
उडान योजना (2021)—10 से 50 वर्ष की महिलाओ को सेंनेट्री नेपकिन।
इन्दिरा प्रिय दर्शनी बेबी किट योजना (2021)

5. विवाह हेतुः— मुख्य मंत्री कन्यादान योजना (2019—20) सामूहिक विवाह योजना
सविता अम्बेडकर अर्न्तजातिय विवाह योजना (2013)
विधवा पुर्नविवाह योजना (2013)

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 11, November 2024

6. महिला सशक्तिकरणः– महिला सशक्तिकरण को सरल शब्दो मे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसा वातारण निर्मित किया जाए जहाँ महिलाएँ अपने जीवन से जुडे फैसले ले सके। पुरी दुनिया मे महिला उद्यमियो की संख्या बढ रही है लेकिन विकासशील देशो में महिलाओ की स्थिति विकसीत देशो की महिलाओ से भिन्न है। क्योकि ग्रामीण महिलाओ की स्थिति अभी भी दयनीय है SHG महिलाओ के सशक्तिकरण के लिऐ प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ ही SHG ग्रामीण महिलाओ को वित्तिय सहायता प्रदान करते है जो महिलाओ को उद्यमशिलता गतिविधियो को शुरू करने और महिलाओ को नये छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिऐ प्रेरित करने में मदद करती है महिलाएँ प्रशिक्षण एंव क्षमता निर्माण कार्यक्रमो मे भाग ले रही है। SHG के सदस्य उत्पादन एंव विपणन से संबंधित निर्णय लेते है सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जिसमें महिलए अपना बहुआयामी विकास कर प्रत्येक क्षैत्र में सुशक्त बन सके। सशक्तिकरण हेतु महिला समुदाय मे जागृती के साथ–साथ समाज, सरकार, राजनितिक एंव प्रशासन को जेंडर सवेदनशील होना होगा। क्योकि इसके अभाव में आधी आबादी को न्याय दिलाना असंभव होगा। सशक्तिकरण की सफलता तभी संभव हो सकती है जब इस दिशा में सार्थक कियान्वित प्रयास किये जाए और योजनाओ का निष्ठापूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जाए। इस दिशा मे उठाये जाने वाले चरणो की सफलता तभी संभव होगी जब महिलाएँ स्वयं अपने दायित्वो के प्रति जागरूक होगी।

निष्कर्ष :– अतः हम कह सकते है कि ग्रामीण महिलाओ को प्रत्येक क्षैत्रो में सशक्त करने और उनकी कार्यात्मक क्षमता का विकास करने उन्हे स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से सशक्त करने व उनकी आय का सृजन करने में योगदान देता है साथ सामाजिक नेतृत्व व आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षो का समाधान करने में भी सक्षम बनाता है SHG के माध्यम से महिलाएँ अपनी बचत एकत्रित करके उसे बैको में जमा करती है जिसके बदले उन्हे अपनी सुक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने हेतु कम ब्याज दर से साथ ऋण तक आसान पहुच प्राप्त होती है ग्रामीण क्षैत्रो में वित्तिय समावेशन को सक्षम बनाने में SHG ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने परिवार एंव स्थानीय समुदायो में ग्रामीण महिलाओ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल बीना :–"A Field of One's own Gender and land rights in soutth asia केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस
2. बोसेरूप एस्टर, 2007 :–"Woman's role in economic devlopement, taylors farncis ltd पब्लिशर्स
3. एन.ओकले, 1974 :–" House wife लंदन लेनपस पब्लिशर्स
4. कौशिक आशा, 2004 :–नारी सशक्तिकरण विमर्श एंव भपार्य जयपुर' पोईन्टर पब्लिशर्स